(ख) इस संस्था द्वारा मुद्रित अथवा प्रकाशित पुस्तकों का किन प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है; और

(ग) कौन-कौन से राज्य इस संस्था द्वारा तैयार की गई पुस्तकों को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल करने को सहमत हो गये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् आदर्श (माडल) पाठ्य पुस्तकों का अंग्रेजी एवं हिन्दी में निर्माण करती है और इन्हें अपनाने अथवा अनुकूलन के लिये राज्य सरकारों को भेजती है । शत-प्रतिशत अपनाना अपेक्षित नहीं है, इसलिये क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद एवं उचित परिवर्तनों के साथ प्रकाशन राज्य प्राधिकारियों द्वारा ही किया जाता है ।

(ख) उपलब्ध सूचना विवरण (1) में दी गई है जिसे सभा-पटल पर रख दिया गया है । **(पुस्तकालय में रख दिया गया । देखिये संख्या LT-2263/68]** ।

(ग) विवरण (2) सभा-पटल पर रख दिया गया है । **(पुस्तकालय में रख दिया गया । देखिये संख्या LT-2263/68]** ।

REPORTS OF THE ADMINISTRATIVE REFORMS COMMISSION

*288. SHRI HEM RAJ : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Study Teams and Study Groups of the Administrative Reforms Commission which have submitted their reports;

(b) which of the reports have been studied by Government;

(c) what are their main features; and

(d) whether a copy of each report of the Study Team/Study Group will be laid on the Table of the House ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (d). Seventeen study teams and eight working groups have submitted their final reports to the Administrative Reforms Commission. These reports are intended to assist the Commission in arriving at its own conclusions. Consequently the question of Government studying them does not arise, except when this is necessary to process any of the Commission's reports. Copies of the final reports of the study teams/working groups have been placed in the Parliament Library.

बिहार में अराजपत्रित कर्मचारियों पर मुकदमे

***289. श्री क० मि० मधुकर :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हड़ताल के सम्बन्ध में बिहार में कितने अराजपत्रित कर्मचारियों पर अभी तक मुकदमा चलाया जा रहा है, कितने कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है तथा निलम्बित कर्मचारियों में से कितनों को पुनः काम पर आने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सब मामलों को वापस लेकर उनमें पारस्परिक आस्था तथा सद्भावना पैदा करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक ऐसी कार्यवाही की जायेगी;

(घ) क्या सरकार यह घोषित करने की स्थिति में है कि सरकारी कर्मचारियों को अपनी उचित तथा न्यायसंगत मांगों के लिये हड़ताल करने का अधिकार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उन कर्मचारियों की संख्या के बारे में सूचना, जिन पर अभी

मुकदमा चलाया जा रहा है, एकत्रित की जा रही है । 648 कर्मचारियों में अधिकांश को, जो निलम्बित किये गये थे, ड्यूटी पर आने की अनुमति दे दी गई है ।

(ख) और (ग). राज्य सरकारें कर्मचारियों में सद्भाव उत्पन्न करने के लिये प्रयत्नशील रही है और उन्होंने उन अराजपत्रित कर्मचारियों को जिन्होंने हड़ताल की थी, कई रियायतें दी हैं । ये रियायतें इस प्रकार हैं :—

(1) उन हड़ताली कर्मचारियों को, जो हड़ताल की अवधि में कुछ समय के लिये उपस्थित हुए थे, उन्हें उनको मिलने वाली छुट्टी से अपनी अनधिकृत अनुपस्थिति को समायोजन करने की अनुमति दे दी गई ।

(2) वे हड़ताली कर्मचारी जो हड़ताल की पूर्ण अवधि के लिये अनुपस्थित थे, अपनी अनधिकृत अनुपस्थिति को नियमित करने के लिये यदि वे प्रार्थना-पत्र दें, तो उन्हें असाधारण अवकाश दिया जायेगा अन्यथा वह सेवा में भंग माना जाता ।

(3) अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि सिवाय उन मामलों के जिनमें हिंसा या उकसाव के आरोप हैं, सभी मामले वापिस ले लिये जाएं ।

(4) सिवाय उन मामलों के जिनमें हिंसा और उकसाव के आरोप हैं, सभी विभागीय कार्यवाहियां बन्द कर दी जाएं; और

(5) सभी सरकारी कर्मचारी जिन्हें हड़ताल की अवधि में केवल अनधिकृत अनुपस्थित होने के कारण सेवा से मुक्त कर दिया गया था, उन्हें सेवा से मुक्ति-अवधि के लिये असाधारण अवकाश के लिये प्रार्थना-पत्र देने पर नौकरी पर बहाल कर लिया जाएगा ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) सम्बन्धित आचरण नियमों के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी हड़ताल करने के लिये वर्जित किये गये हैं और अनुशासन बनाये रखने के ध्येय से नियमों में यह उपबन्ध आवश्यक समझा जाता है ।

USE OF DIPLOMATIC LOUNGE BY MEMBERS OF PARLIAMENT AT PALAM

*290. SHRI K. L. LAKKAPPA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Members of Parliament are not permitted to use the Diplomatic Lounge at Palam; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) and (b). The Ceremonial Lounge at Palam airport is intended for use on formal and ceremonial occasions by the President, Vice-President, Prime Minister and other high dignitaries including foreigners to whom such privilege may be extended. Another reserved lounge for VIPs exists at Palam airmport (at present at a temporary location due to renovation of the original), which is open to VIPs and foreign dignitaries. This lounge is also made available to Members of Parliament.

SAFEGUARDS FOR ORIYA SPEAKING PEOPLE

*291. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether any steps have been taken by Government to safeguard the interests of the Oriya speaking people in the District of Singhbhum in Saraikella and Kharsuan in Bihar;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether opportunities have been provided to the Oriyas there to conserve their language and to establish their educational institutions within the meaning of Article 20 and 30 of the Constitution : and